



No.: WAP/CD/PMGSY(JCB)/2024-25/03

Date: 26.06.2024

SHORT TERM NOTICE INVITING TENDER

उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यू0आर0आर0डी0ए0) उत्तराखण्ड की ओर से अधिशासी निदेशक (सिविल डिजाईन), वापकोस लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा द्वारा दैवीय आपदा (वर्ष 2024-25) के अन्तर्गत मानसून (जून-सितम्बर) के दौरान पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्मित विभिन्न अवरुद्ध मार्गों को खोलने हेतु जे0सी0बी0 से मलवा सफाई कराने के कार्य के लिये online निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रपत्र दिनांक 26.06.2024 से 02.07.2024 तक PMGSY की वेबसाइट <https://www.pmgstendersuk.gov.in> से निशुल्क डाउनलोड किये जा सकते हैं। निविदा की सभी प्रक्रिया [PMGSY Portal](#) पर ही सम्पादित की जायेगी। निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 02.07.2024 को अपराह्न 1:00 बजे तक है। इच्छुक निविदादाता उपरोक्त पोर्टल पर अपनी निविदा ऑनलाईन जमा करा सकते हैं एवं अन्य आवश्यक निविदा प्रपत्र (Affidavits, Bid Validity, EMD, Bid Document Fee) मूल रूप में स्तम्भ '8' में अंकित कार्यालय में दिनांक 02.07.2024 अपराह्न 1:00 बजे तक जमा करा सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 02.07.2024 को गठित समिति द्वारा अपराह्न 3:00 बजे ऑनलाईन खोली जायेंगी।

निविदा के साथ रु0 100/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर मात्र रु0 1.00 के रेवेन्यू टिकट पर हस्ताक्षर कर निविदा की दरों की वैधता के लिये संलग्न करना आवश्यक होगा। निविदा सम्बन्धी सभी शर्तें एवं प्रपत्र जी0पी0डब्ल्यू0-8, जी0पी0डब्ल्यू0-9 व निविदा प्रपत्र एम0एफ0 83, 79/97 तथा मैन्यूअल फॉर्म-69/70 एवं शासनादेश संख्या-2611/111(2)/07-75(सा0)/2000 दिनांक 26.10.2007 के अनुसार मान्य होंगी। कार्यों की सूची निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	धरोहर धरणाशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता अवधि	अनुमानित लागत (रु0 में) जी.एस.टी. रहित	निविदा प्रपत्र जमा करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8
Emergency Maintenance Work including Slip Clearance during the Monsoon Period (June – September) for Year 2024-25							
PIU-Bhatrojkan, Distt. Almora							
1.	Package-1: Emergency Maintenance Work including slip clearance for Road a) Lachmola to Nauban, Motor Road, Length-4.90 Km. (b) Bhikiyasain to Baina-karakot M/R, Length-7.70 Km. Block-Tarikhhet, PIU-Bhatrojkan	Rs. 20,399/- (in form of FDR)	Rs. 5,00/- (in form of DD-Non-refundable)	04 माह	45 दिन	10,19,946/-	स्थानिक अभियन्ता, वापकोस लि0, पी0आई0यू0 भतरोजखान, धमाईजर, गनियादौली, रानीखेत, अल्मोड़ा। मो0नं0-7055944245 email id- piubhatrojkan@wacos.co.in

2.	Package-4: Emergency Maintenance Work including slip clearance for Road Chalina china to selakot kane rikhad mehragaon, Length-15.50 Km. Block-Dhauladevi PIU-Bhatrojkhana	Rs. 11,957/- (in form of FDR)	Rs. 5,00/- (in form of DD-Non-refundable)-	04 माह	45 दिन	5,97,869/-	स्थानिक अभियन्ता, वापकोस लि०, पी०आई०यू० भतरोजखान, धमाईजर, गनियादौली, रानीखेत, अल्मोड़ा। मो०नं०-7055944245 email id- piubhatrojkhana@wapcos.co.in
PIU-Kapkot, Distt. Bageshwar							
3.	Package-8: Emergency Maintenance Work including slip clearance for Road Supi to Jhuni, L057, Length-9.90 Km, Block Kapkot, PIU-Kapkot.	Rs. 9,789/- (in form of FDR)	Rs. 5,00/- (in form of DD-Non-refundable)	04 माह	45 दिन	4,89,453/-	स्थानिक अभियन्ता, वापकोस लि०, पी०आई०यू० कपकोट, खेतवाल निवास, काथयाबारा, बागेश्वर। मो०नं०-7599301560 email id- piukapkot@wapcos.co.in

निविदा की शर्तें—

- निविदायें केवल उन्हीं पंजीकृत ठेकेदारों की मान्य होंगी, जिनका लो०नि०वि० में ठेकेदारी में श्रेणी "डी" अथवा "डी" से उच्चतर पंजीकरण होगा तथा उन्हीं के नाम पर जे०सी०बी०/एक्सकावेटर मशीन का पंजीकरण होगा। इसके लिये ठेकेदारों को निविदा के साथ अपना पंजीकरण प्रमाण—पत्र तथा जे०सी०बी०/एक्सकावेटर मशीन का पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- अगर निविदादाता के पास खुद के जे०सी०बी०/एक्सकावेटर मशीन नहीं है पर वह लीज पर मशीन ले रहा है तो लीज संबंधित सभी दस्तावेज तथा जे०सी०बी०/एक्सकावेटर मशीन का पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- जे०सी०बी० मशीन आर०टी०ओ० में पंजीकृत होनी चाहिए एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित होना चाहिए।
- निविदायें केवल उन्हीं पंजीकृत ठेकेदारों की मान्य होंगी, जिनके पास जे०सी०बी०/एक्सकावेटर मशीन का पंजीकरण दिनांक 01.01.2019 के बाद का होगा। इससे पुराने पंजीकरण की जे०सी०बी०/एक्सकावेटर मशीन विभाग में नहीं लगाई जायेगी।
- ठेकेदार की जे०सी०बी० मशीन पर जी०पी०एस० ट्रेकिंग डिवाइस लगा होना अनिवार्य है।
- ठेकेदार को निविदा में अपनी जे०सी०बी० का मुख्यालय लिखना होगा तथा अपने व जे०सी०बी० ऑपरेटर के दो मोबाइल नं० भी जे०सी०बी० पर अंकित करने होंगे।
- अनुबन्ध गठित होने के पश्चात आवश्यकता पडने पर ही सम्बन्धित स्थानिक अभियन्ता की लिखित अनुमति के पश्चात ही मशीन सम्बन्धित मार्गों पर मलवा सफाई/मार्ग खोलने का कार्य करने हेतु भेजी जायेगी। सम्बन्धित स्थानिक अभियन्ता की लिखित अनुमति न होने की स्थिति में कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- निविदाओं के अनुबन्ध गठित होने के पश्चात जे०सी०बी०/एक्सकावेटर मशीन के आईडल खडे रहने की स्थिति में विभाग द्वारा उसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। विभाग द्वारा भुगतान केवल जे०सी०बी०/एक्सकावेटर मशीन द्वारा कार्य होने के पश्चात ही किया जायेगा, इस सम्बन्ध में किसी भी ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- निविदाओं के अनुबन्ध गठित होने के पश्चात सम्बन्धित ठेकेदार को सम्बन्धित स्थानिक अभियन्ता के अधीन मार्ग खोलने हेतु अथवा मलवा सफाई करने हेतु निर्देश प्राप्त होने के अधिकतम 02 घण्टे के भीतर मशीन को सम्बन्धित मार्ग पर कार्य करने हेतु भेजना अनिवार्य होगा, अन्यथा विभाग द्वारा किसी अन्य जे०सी०बी०/एक्सकावेटर मशीन द्वारा कार्य करा लिया जायेगा तथा ठेकेदार के देयक से ठेकेदार की दरों के डेड गुने के बराबर कटौती की जायेगी तथा इसी कटौती

से किये गये कार्य का भुगतान किया जायेगा। मशीन हेतु ईंधन एवं चालक की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी है, जिसके लिए कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा।

10. निविदाओं में सम्बन्धित ठेकेदार समस्त शर्तों का भली-भांति अध्ययन करने के पश्चात ही अपनी दरें भरें। निविदा प्राप्त होने के पश्चात किसी भी ठेकेदार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
11. निविदाओं के अनुबन्ध गठित होने के पश्चात सभी ठेकेदारों को जे0सी0बी0/एक्सकावेटर मशीन के चलने की लॉग बुक प्रत्येक माह की 05 तारीख से पूर्व मार्गवार सम्बन्धित स्थानिक अभियन्ता /सहायक स्थानिक अभियन्ता से प्रमाणित कराकर शिविर कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी, चाहे उस माह जे0सी0बी0/एक्सकावेटर मशीन द्वारा कार्य किया गया हो अथवा नहीं। इसकी जांच स्वयं स्थानिक अभियन्ता द्वारा प्रत्येक माह की 07 तारीख को की जायेगी।
12. निविदाओं में यदि किसी ठेकेदार द्वारा एक से अधिक वैद्य निविदायें दी जाती हैं, तो उस ठेकेदार का केवल एक अनुबन्ध गठित किया जायेगा। यदि वह ठेकेदार दोनों निविदाओं में दो अलग-अलग जे0सी0बी0/एक्सकावेटर मशीन के पंजीकरण के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसी दशा में उसके दो अलग-अलग अनुबन्ध गठित किये जायेंगे।
13. धन की उपलब्धता के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।
14. निविदा क्रय करने से पूर्व ठेकेदार कार्यस्थल की भली-भांति जांच कर लें।
15. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा, जिस हेतु ठेकेदार कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
16. धरोहर धनराशि FDR के रूप में वाफ्कोस लिमिटेड (WAPCOS Limited) के नाम, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
18. शासनादेश संख्या-6447/111(2)/11-20(सा0)/11 लो0नि0वि0 अनुभाग-2 दिनांक 02 जनवरी, 2013 के अनुसार विभागीय दरों से न्यून दरों पर निविदा आने पर कार्य स्वीकृति के पूर्व अतिरिक्त परफार्मेंस गारण्टी/सिक्वोरिटी की धनराशि जमा करनी होगी।
19. किसी भी शंका होने की स्थिति में ठेकेदारों द्वारा जमा कराये गये पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की विभाग द्वारा जांच कराई जा सकती है।
20. उक्त कार्य हेतु जे0सी0बी0 मशीन की आवेदित दरें चालक एवं ईंधन की लागत सहित भरी जायेंगी।
21. आपातकाल में ठेकेदार को खण्ड के अन्तर्गत किसी भी मार्ग को खोलने हेतु भी निर्देशित किया जा सकता है, जिसके लिये उसका कोई भी अतिरिक्त दावा मान्य नहीं होगा तथा उसे इन निर्देशों का पालन करना होगा।

भवदीय



(ए0के0 गहलोत)

अधिशाली निदेशक (सिविल डिजाईन)
वाफ्कोस लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
76-सी0, सैक्टर-18, गुरुग्राम-122015 (हरि0)

विशेष शर्तें

1. मार्ग खोलने हेतु जे0सी0बी0 द्वारा किए गए कार्य की मात्राएं मानसून पर निर्भर है जिस का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता इन मात्राओं में कितनी भी भिन्नता हो सकती है। मात्रा कम होने पर कार्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। विभिन्नता हेतु ठेकेदार का किसी भी प्रकार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
2. ठेकेदार को जे0सी0बी0 मशीन मांग के अनुसार आवश्यकता वाले स्थानों पर 2 घंटे के अंदर उपलब्ध करानी होगी जिसके लिए अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
3. भुगतान विभाग के सक्षम अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भरी गई लॉग बुक के सत्यापन उपरांत अनुदान की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
4. मशीन रखरखाव एवं मरम्मत इत्यादि की संपूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
5. समस्त कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 की विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप करने होंगे तथा समय-समय पर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।
6. जे0सी0बी0 मशीन हेतु इंधन व चालक इत्यादि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी जिसका अलग से विभाग द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. ठेकेदार को पूर्ण पत्राचार का पता एवं संपर्क नंबर अंकित करना होगा, तथा पता व संपर्क नंबर में परिवर्तन की सूचना विभाग को तुरंत देना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त मशीन के चालक का भी संपर्क नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. विभाग को उपलब्ध कराई गई मशीन के खराब होने की स्थिति में कार्य अवरुद्ध ना हो इसलिए कार्यस्थल में 2 घंटे के अंदर दूसरी मशीन ठेकेदार द्वारा विभाग को उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।
9. जे0सी0बी0 मशीन के ऑपरेटर को विभाग द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त किए जाने आवश्यक होंगे तथा उनसे लगातार संपर्क रखना होगा।
10. जे0सी0बी0 मशीन द्वारा कार्य किए जाने पर किसी सार्वजनिक संपत्ति/निजी संपत्ति की क्षति होने पर ठेकेदार उसके लिए स्वयं उत्तरदाई रहेगा इस संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. आपातकाल में ठेकेदार को खंड के अन्य मार्गों को खोलने हेतु निर्देशित किया जा सकता है जिसके लिए उसका कोई भी अतिरिक्त दवा मान्य नहीं होगा तथा उसे इन निर्देशों का पालन करना होगा।

भवदीय



(ए0के0 गहलोत)

अधिशाली निदेशक (सिविल डिजाईन)

वाफ्कोस लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)

76-सी0, सैक्टर-18, गुरुग्राम-122015 (हरि0)